



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्टर कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] l jnkjx< %jkt-%
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – ns@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsf@ns.org

क्रमांक:- सर0/कृषि/23/2024-25-

दिनांक: -16.05.2024

fufonk& l puk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0.) में फार्म के (खण्ड 4 के चक संख्या 39,40,42,43,44,45,46 पीबीएन) व (खण्ड 5 के चक संख्या 47,48,49 सभी कार्यों हेतु व चक संख्या 50,51,52 में केवल क्रम संख्या 3 हेतु) में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है।

d-l-	dk;l fooj.k
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) को जमीन की सतह से काटकर कर अपने साधन से कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।
2.	विभिन्न चको में आधी तूफान से गिरे देशी किकर इत्यादि पेड़ों की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओं एवं छांगन की कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।
3.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) की जड़ों को उखाड़ने पश्चात बने गड्ढों में मिट्टी को भरना एवं उखाड़ी गयी जड़ को अपने साधन पर लोड करके फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।

उपरोक्त कार्यों के लिए धरोहर राशि रुपये 10000.00 प्रति चक निर्धारित है। निविदा दिनांक 07.06.2024 को शाम 3.00 बजे तक आमंत्रित कि जाती है जो कि उसी दिन 3.30 बजे फार्म मुख्यालय में गठित समिति द्वारा उपस्थित पार्टियों के सामने खोली जायेगी ।

अतः इच्छुक ठेकेदार/पार्टिया संबंधित कार्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि “नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन fyfeVM, l jnkjx<” के नाम से सूरतगढ़ में देय हो, फार्म खजान्ची के पास धरोहर राशि के रूप में जमा कराकर निविदा में भाग ले सकते हैं। नीलामी संबंधी नियम एवं तर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ली जा सकती है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड की फोटोप्रति व आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति निविदा के साथ सलग्न करनी होगी । टेण्डर फार्म रु.236/- (Including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

प्रभारी (उत्पादन)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़

Qke i{f k= e: [kM: fofHkUu t: yhQjk dk tM: dh lrg l: dkVu: d: ckn dRrj cuku: d: dk;: dh fu: e o kkr:A

1. निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक कार्य हेतु रुपये 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) प्रति चक जिसमें कार्य खड़ी विलायती कीकर (जूलीफेरा) की लकड़ी जड़ की सतह से काटना व कुत्तर करना) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि “नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ” के नाम से सुरतगढ. में देय हो खजान्ची के पास जमा करवाने होगा, बैंक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
3. सक्षम अधिकारी/फार्म निदेशक को यह अधिकार होगा कि उच्चतम टेण्डर/बोली को स्वीकार करें अथवा नहीं करें। इसकी सूचना तुरन्त या अगले दिन घोषित कर दी जाएगी।
4. कुत्तर की जाने वाली लकड़ियों कि दर प्रति क्विंटल होगी, किसी भी प्रकार का सरकार को देय टैक्स इत्यादि अगर होगा तो उसका भुगतान पार्टी को स्वयं करना होगा।
5. जूलीफेरा (विलायती कीकर) कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफेरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देखरेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
6. अन्तिम रिलिज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलिज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
7. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनाएगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमीयों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
8. प्रत्येक वाहन को सम्बन्धित खण्ड के धर्मकांटे पर तुलाई के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी तथा हर वाहन का गेट पास कटवाने के बाद ही माल बाहर जाने दिया जायेगा।
9. जूलीफेरा (विलायती कीकर) एवं आंधी तूफान से गिरे देशी किकर इत्यादि पेड़ों की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओं एवं पेड़ों के छांगन का कुत्तर बनाने के कार्य तथा विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलीफेरा) की जड़ों को उखाड़ने पश्चात बने गढढों में मिट्टी को भरना एवं उखाड़ी गयी जड़ को अपने साधन पर लोड करके फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर ले जाने की अवधि 31.03.2025 तक होगी आवश्यकतानुसार कुत्तर बनाने के कार्य की अवधि बढ़ायी भी जा सकती है।
10. ठेकेदार को सभी कार्य चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी की देखरेख व निर्देशानुसार करना होगा।
11. कार्य के दौरान श्रमिकों के साथ दुर्घटना/नुकसान इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. इस कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टी/ठेकेदार को रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) का नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर एग्रीमेन्ट के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा इसके बाद ही कार्य प्रारम्भ करने दिया जाएगा।
13. उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
14. यदि कुत्तर ठेकेदार द्वारा जानबुझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ या पेड़ की मोटी शाखा काट कर कुत्तर बना दिया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा। यदि ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते हैं तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें।
15. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है। तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।
16. कार्य की अवधि वर्ष 2024-25 तक रहेगी।

नोट:- उपरोक्त नियम व शर्तें मैंने पूर्ण रूप से पढ़ व समझ ली है तथा मुझे मान्य है एवं इनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्र कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] l jnkjx< %jkt-%
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com

क्रमांक :- सर/कृषि/23/2024-25-

दिनांक: -07/06/2024

ukV& pd l[;k 50]51]52 ihch,u d Øe l[;k &1 o 2 ij vfdR dk;l vkofVr gk
pd; g mDr pdk e Øe l[;k &1 o 2 gr nh x;h nj; Lohdkj ugh dh tk;ixh½

[k.M l[;k@pd l[;k&-----

Qke i{k= e: [kM; foyk; rh dh d j %t y h Q j k % dk t M dh l rg l dkVu; d ckn dRrj cuku
,oi tMk dk m[kkM;d j rky d vk/kkj ij y; tku dk V.Mj Qke

Ø- I-	dk;l fooj.k	nj ifr fDoVy Qkei dk tek djokÅxk ¼: i; e½
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) को जमीन की सतह से काटकर कर अपने साधन से कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	
2.	विभिन्न चको मे आंधी तूफान से गिरे देशी कीकर इत्यादि पेड़ों की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओं एवं छांगन की कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	
3	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) की जड़ों को उखाड़ने पश्चात बने गढ़दो में मिट्टी को भरना एवं उखाड़ी गयी जड़ को अपने साधन पर लोड करके फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	

ई.एम.डी राशी.....

डी.डी न./यु.टी.आर न.-.....

दिनांक

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पिता का नाम :-

स्थायी पता :-

.....

.....

फोन नं. :-

पेन कार्ड नं. :-.....

बैंक खाता संख्या.....

